



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11042023-245085
CG-DL-E-11042023-245085

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1606]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 10, 2023/चैत्र 20, 1945

No. 1606]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 10, 2023/CHAITRA 20, 1945

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2023

का.आ. 1685(अ).—जबकि, सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिश्रम की प्रदायगी के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का प्रयोग सरकारी वितरण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, और लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से उनकी हकदारियों को हासिल करने में सक्षम बनाता है और आधार किसी की पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, जबकि, भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है) आंगनवाड़ी सेवा स्कीम (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अधीन) (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) को बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष) और गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के लिए सार्वभौमिक स्व चयन स्कीम के रूप में संचालन करती है जो कि देश भर में फैले आंगनवाड़ी केंद्रों (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन एजेंसी कहा गया है) के द्वारा राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है और यह छह सेवाएं, अर्थात्, (i) पूरक पोषाहार; (ii) स्कूल-पूर्व गैर-औपचारिक शिक्षा; (iii) पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा; (iv) टीकाकरण; (v) स्वास्थ्य जांच; और (vi) रेफरल सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करती है और इन सेवाओं में से टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं स्वास्थ्य से संबंधित हैं जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे द्वारा प्रदान की जाती हैं;

और जबकि, स्कीम के अधीन, कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा स्कीम और उसके तहत जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, पूरक पोषण (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रसुविधाआ कहा गया है) बच्चों (6 माह से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं ((जिसे इसमें इसके पश्चात लाभार्थी कहा गया है) को दिया जाता है;

और जबकि, स्कीम के कार्यान्वयन में भारत की संचित निधि से किया गया आवर्ती व्यय शामिल है;

अतः, अब आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षितपरिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार एतद्वारा निम्न प्रकार से अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. (1) किसी भी स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक लाभार्थी को एतद्वारा आधार नंबर का प्रमाण प्रस्तुत करना या लागू होने की स्थिति में आधार प्रमाणीकरण कराना होगा।

(2) स्कीमों के अधीन लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसी पात्र लाभार्थी, जिसके पास आधार नंबर नहीं है या आधार के लिए आवेदन नहीं किया है, को आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा और आधार नामांकन आईडी प्रदान करना होगा, बशर्ते वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार हेतु नामांकन कराने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र [सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध] में जा सकते हैं;

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, स्कीम का कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के विभाग को उन लाभार्थी/(र्थियों) के लिए नामांकन सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है जिन्होंने अब तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं है, तो स्कीम का कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का विभाग यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रारों के समन्वय में सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा या यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कर सकता है:

परंतु किसी लाभार्थी को आधार आवंटित किए जाने तक, ऐसे लाभार्थी को निम्नलिखित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने पर स्कीम के अधीन लाभ दिया जाएगा, अर्थात्:-

I: बच्चों (6-72 माह) के लिए:

(क) (i) यदि लाभार्थी को पांच वर्ष की आयु (बायोमेट्रिक संग्रह के साथ) के बाद नामांकित किया गया था, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, या बायो-मेट्रिक अपडेट पहचान पर्ची, या;

(ii) लाभार्थी द्वारा आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की एक प्रति; और

(ख) लाभार्थी के निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्:—

(i) जन्म प्रमाण पत्र/या उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का रिकॉर्ड; या

(ii) स्कूल पहचान पत्र, स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, जिसमें माता-पिता के नाम हों; और

(घ) मौजूदा स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार माता-पिता या कानूनी अभिभावक के साथ लाभार्थी के संबंध के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्:

(i) जन्म प्रमाणपत्र; या उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का रिकॉर्ड; या

(ii) राशन कार्ड; या

(iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम कार्ड; या कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्ड; या केंद्र सरकार स्वास्थ्य स्कीम कार्ड; या

- (iv) पेंशन कार्ड; या
- (v) सेना का कैंटीन कार्ड; या
- (vi) कोई भी सरकारी परिवार पात्रता कार्ड; या
- (vii) मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज

और किसी बच्चे के लिए स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए उसका आधार अनिवार्य नहीं होगा और बच्चा माता के आधार कार्ड का प्रयोग कर स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त कर सकता है; या

II: गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के लिए:

क. यदि उसने नामांकन कराया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, और

ख. निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्:

- i. फोटो युक्त बैंक या डाकघर पासबुक, या
- ii. पैन कार्ड, या
- iii. पासपोर्ट, या
- iv. राशन कार्ड, या
- v. मतदाता पहचान पत्र, या
- vi. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्ड, या
- vii. किसान फोटो पासबुक, या
- viii. मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस, या
- ix. किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा आधिकारिक लेटर हेड पर जारी किए गए ऐसे व्यक्ति की फोटो युक्त पहचान का प्रमाणपत्र, या
- x. विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज

परंतु उपरोक्त दस्तावेजों की जांच मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से उस उद्देश्य के लिए नामित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. लाभार्थियों को प्रसुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिए, स्कीम का कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का विभाग, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करेगा कि लाभार्थियों को स्कीमों के तहत आधार की जरूरत के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए।

3. सभी मामलों में, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र को अपनाया जाएगा, अर्थात्: -

- (क) फिंगरप्रिंट की खराब गुणवत्ता के मामले में, प्रमाणीकरण के लिए आईरिस स्कैन या फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा अपनाई जाएगी, और विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से आईरिस स्कैनर या फिंगर ऑथेंटिकेशन के साथ फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण से निर्बाध तरीके से लाभ की प्रदायगी की व्यवस्था करेगा;
- (ख) फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन या फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होने पर, जहां भी संभव और स्वीकार्य हो आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम-बेस्ड वन

टाइम पासवर्ड द्वारा सीमित समय वैधता के साथ मान्य प्रमाणीकरण, जैसी भी स्थिति हो, की व्यवस्था की जाएगी;

- (ग) उन सभी अन्य मामलों में जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम-आधारित वन टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, स्कीम के तहत लाभ भौतिक आधार पत्र के आधार पर दिया जा सकता है जिसकी प्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड द्वारा सत्यापित की जा सकती है और विभाग द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सुविधाजनक स्थानों पर क्यूआर कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी।

4. उर्पयुक्त अंतर्विद किसी बात के होते हुए भी, किसी भी बच्चे को प्रमाणीकरण के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने में विफल रहने, या आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल होने पर, या ऐसे बच्चे के मामले में, जिसके पास कोई आधार संख्या नहीं है, स्कीम के तहत लाभों से वंचित नहीं किया जाएगा, ऐसे बच्चों को नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हुए, पैरा 1 के उप-पैरा (3) के उप-पैरा (ख) और (ग) के अधीन खंड 1 (ख) और (ग) के अधीन प्रदान किए गए अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान की पुष्टि करके उसे लाभ दिया जाएगा, और जहां इस तरह के अन्य दस्तावेजों के आधार पर लाभ दिया गया हो, उसे दर्ज करने के लिए एक अलग रजिस्टर रखा जाएगा, जिसकी मंत्रालय द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से समय-समय पर समीक्षा और लेखा परीक्षा की जाएगी।

5. यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कीम के अधीन कोई भी वास्तविक लाभार्थी देय लाभों से वंचित नहीं रहे, विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. डी-26011/04/2017-डीबीटी, दिनांक 19 दिसंबर 2017 में निर्दिष्ट अपवाद प्रबंधन तंत्र का पालन करेगा। (<https://dbtbharat.gov.in> पर उपलब्ध)

6. यह अधिसूचना सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं 11/3/2022-सीडी.।]

अदिति दास राउत, अपर सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2023

S.O. 1685(E).—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Ministry of Women and Child Development (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India, is administering the Anganwadi Services Scheme (under Saksham Anganwadi and POSHAN 2.0) (hereinafter referred to as the Scheme) as a universal self-selecting Scheme to children (6 months to 6 years) and pregnant women and lactating mothers which is being implemented through State Governments and Union Territory Administrations through the Anganwadi Centres (hereinafter referred to as the Implementing Agency); spread across the country and it offers six services, namely, (i) Supplementary Nutrition; (ii) Pre-School Non-formal Education; (iii) Nutrition and Health Education; (iv) Immunization; (v) Health check-up; and (vi) Referral Services and out of these services the Immunization, Health check-up and Referral services are related to health and are provided by National Health Mission and public health infrastructure;

And whereas, under the Scheme, Supplementary Nutrition (*hereinafter referred to as the benefit*) is given to the **Children (6 months – 6 years) Pregnant Women and Lactating Mothers** (*hereinafter referred to as the beneficiaries*), by the Implementing Agency as per the Scheme and extant guidelines issued thereunder;

And whereas, the implementation of the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to the said Act), the Central Government in the Ministry of Women and Child Development hereby notifies the following, namely:—

1. (1) an individual desirous of availing the benefits under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) any individual desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians (in case of child beneficiaries), provided he is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individual may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India website www.uidai.gov.in to get enrolled for Aadhaar;

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry or Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing registrars of Unique Identification Authority of India or by becoming Unique Identification Authority of India registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, the benefit under the Scheme shall be given to such individual, subject to production of the following documents, namely: —

I: For children (6 - 72 months):

- (a) (i) if the beneficiary was enrolled after the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of bio-metric update identification slip, or;
 - (ii) a copy of the request made for Aadhaar enrolment by the beneficiary; **and**
- (b) any one of the following identity documents of the beneficiary, namely: —
 - (i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or
 - (ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents names; **and**
- (c) any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:—
 - (i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or
 - (ii) Ration Card; or
 - (iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme Card; or Employees' State Insurance Corporation Card; or Central Government Health Scheme Card; or
 - (iv) Pension Card; or
 - (v) Army Canteen Card; or
 - (vi) any Government Family Entitlement Card; or
 - (vii) any other document as specified by the Ministry.

Further, a child's Aadhaar card shall not be mandatory for availing the benefits under the Scheme and the benefits under the scheme can be accessed using the mother's Aadhaar card.

II: For Pregnant Women and Lactating Mothers:

- (a) if she has enrolled, her Aadhaar Enrolment Identification slip; **and**
- (b) any one of the following documents, namely :-
 - i. Bank or Post office Passbook with Photo; or
 - ii. Permanent Account Number Card; or
 - iii. Passport; or

- iv. Ration Card; or
- v. Voter Identity Card; or
- vi. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act card; or
- vii. Kisan Photo passbook; or
- viii. Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
- ix. Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or
- x. any other document as specified by the Ministry.

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Ministry through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. Where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

- (a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication and the Ministry through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
- (b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
- (c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Ministry through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained herein above, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for enrolment, the benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as provided under sub-clause (b) and (c) in clauses I.(b) and I.(c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Ministry through its Implementing Agency.

5. In order to ensure that no bona fide beneficiary (other than children) under the Scheme is deprived of his due benefits, the Ministry through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India no. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December 2017 (available on <https://dbt Bharat.gov.in/>).

6. *This notification shall come into effect from the date of its publication in all States and Union Territories.*

[F. No. 11/3/2022-CD.I]

ADITI DAS ROUT, Addl. Secy.